[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 12/2023-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. ..... (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना मेः-

(क) तालिका में,

(i) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है , उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से केंद्रीय कर लेता है । यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से केंद्रीय कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.";

(ii) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है , उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से केंद्रीय कर लेता है । यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से केंद्रीय कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.";

(iii) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, शब्दों "टोटलिसेटर या या ऐसे क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति" के स्थान पर, शब्द " किसी क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति द्वारा " प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुबंध में: सेवाओं के वर्गीकरण की योजना,

(i) कॉलम (1) में क्रम संख्या 696 और 698 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[एफ.सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित

किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023, जिसे सा.का.नि. 537 (अ), दिनांक 26 जुलाई,2023 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।